

प्रपत्र-पैतालीस
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश
(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम-70 के उपनियम-1 को देखें)
हकदारी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र

1-	व्यापारी का नाम व पता	-												
2-	करदाता पहचान संख्या (टिन)													
	कर कटौती संख्या (टी0डी0एन0)													
	सेवा प्रदायी संख्या (एस0पी0एन0)													
3-	मुख्य व्यापार स्थल / डिपो / शाखा / गोदाम / निर्माण स्थल (प्रान्त / प्रान्त बाहर)													
		विवरण	पता											
	क-	मुख्य व्यापार स्थल का पता												
	ख-	शाखा / गोदाम / डिपो आदि												
		i												
		ii												
		iii												
		iv												
	ग-	निर्माण स्थल												
4-	व्यवहारी का संविधान (कृपया सही बाक्स में निशान लगाये)													
		स्वामित्व <input type="checkbox"/>	साझेदारी <input type="checkbox"/>	हिन्दू अविभाजित परिवार <input type="checkbox"/>	कम्पनी <input type="checkbox"/>	सोसाइटी <input type="checkbox"/>								
	राज्य या केन्द्रीय सरकार का उपक्रम <input type="checkbox"/>	क्लब <input type="checkbox"/>	एसोसियेशन <input type="checkbox"/>	अन्य कोई <input type="checkbox"/>										
5-	साझेदार / स्वामी / डायरेक्टर / कर्ता / ट्रस्टी / मुख्याधिकारी, आदि का नाम व पता													
		नाम व पता	प्रास्थिति	कहाँ से	कहाँ तक									
		i												
		ii												
		iii												
		iv												
		v												
6-	बैंक खाते का विवरण जिसमें वापसी की धनराशि जमा होगी													
	क्र0सं0	शाखा का नाम व पता	खाते का प्रकार	खाता संख्या										
		i												
		ii												
	iii													
7-	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का विवरण													
	क्र0सं0	विवरण	विवरण											
		i	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्त के प्रारम्भ की तिथि											
		ii	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की अवधि											
			से	तक										

iii	स्थाई पूँजी निवेश की धनराशि	
iv	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी है अनुमन्य स्थायी पूँजी निवेश	
v	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की धनराशि	
vi	दि० 01.01.08 के पूर्व करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी, से संबंधित उपभोग की गयी धनराशि	
vii	दि० 01.01.08 को अवशेष करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की धनराशि	
viii	दि० 01.01.08 के पूर्व उपभोग की गयी छूट की अवधि	
ix	दि० 01.01.08 को अवशेष उपभोग हेतु छूट की अवधि	
x	नोटिफिकेशन सं० एवं दि० जिसके अंतर्गत करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी स्वीकृत की गयी	
xi	पात्रता प्रमाण पत्र के संख्या एवं दिनांक यदि जारी हो	
xii	ऐसे मामले जिसमें छूट की सुविधा पात्रता प्रमाण पत्र पर आधारित नहीं हो, तो नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक	
xiii	यदि छूट की सुविधा भविष्य के पूँजी निवेश पर आधारित हो एवं उक्त निवेश की अवधि अवशेष हो, ऐसी स्थिति में निवेश की अवधि अंकित करें	
xiv	यदि छूट की सुविधा केवल अवधि पर निर्भर हो नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक (नोटिफिकेशन की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	

8- औद्योगिक इकाइयों में निर्मित माल का विवरण			
क्र०सं०	औद्योगिक इकाई में उत्पादित वस्तुओं का नाम	पात्रता प्रमाण पत्र में अंकित वस्तुओं का नाम(यदि पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है "लागू नहीं" अंकित करें)	उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
1	2	3	4
i			
ii			
iii			
iv			
v			
vi			
vii			
viii			
ix			
x			
xi			

8(a) माल के उत्पादन अथवा पैकिंग के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद का विवरण			
क्र०सं०	वस्तुओं का वर्गीकरण	वस्तुओं के वर्गीकरण का विवरण	
1	2	3	
i-	कच्चा माल	(i)	(ii)
ii-	प्रसंस्कृति माल	(i)	(ii)
iii-	कन्ज्यूमेबल स्टोर्स	(i)	(ii)
iv-	पेट्रोल एवं डीजल के अतिरिक्त ईंधन	(i)	(ii)
v-	पैकिंग मैटीरियल	(i)	(ii)
vi-	स्नेहक	(i)	(ii)

9(क)	दि० 01.01.08 के पूर्व करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का लाभ प्रारम्भ के पश्चात तलाशी, जॉच/लेखा पुस्तकों अथवा माल के अभिग्रहण का विवरण		
ख	तलाशी/जॉच/अभिग्रहण का दिनांक	अधिकारी का नाम जिसने तलाशी/अभिग्रहण की कार्यवाही की	परिणाम
क-			
ख.			
ग.			

9(ख)	अर्थदण्ड/अनन्तिम कर निर्धारण एवं अपील/रिट के परिणाम का विवरण						
क्र०स०	आदेश का दिनांक	धारा जिसके अंतर्गत आदेश पारित किया गया	अर्थदण्ड/कर की धनराशि	अपील/रिट का परिणाम यदि अनिस्तारित है तो अपील/रिट की संख्या			
				प्रथम अपील	अधिकरण	निपटारा आयोग	उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय
क.							
ख.							
ग.							

घोषणा

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी -----
 प्रास्थिति..... अर्थात् (स्वामी, निदेशक, साझेदार आदि जैसा नियम-32(6) में प्राविधानित है)
 एतद द्वारा घोषणा सत्यापित करता हूँ कि दिये गये विवरण एवं ऑकड़े मेरे विश्वास एवं जानकारी में सत्य एवं पूर्ण हैं तथा मेरे द्वारा जानबूझकर न तो अनदेखा किया गया है न तो छिपाया गया है न तो गलत कहा गया है

दिनांक
स्थान

साझेदार/ स्वामी/कर्ता आदि के नाम व पता
 प्रास्थिति
 व्यापारी का नाम
 करदाता पहचान संख्या.....

नोट:- उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रार्थना पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा।